अध्याय 2 नियोजन

2.1 विभाग एवं जेबीवीएनएल की नियोजन में उदासीनता

फीडर पृथक्करण के लिए दोषपूर्ण नियोजन

जेबीवीएनएल ने मिश्रित भार वाले फीडर जहां फीडर पृथक्करण की आवश्यकता थी, मौजूदा और संभावित कृषि उपभोक्ताओं की कुल संख्या, कुल क्षेत्रफल और खेती योग्य भूमि का स्थान और जलग्रहण क्षेत्र जहां से उपभोक्ता सिंचाई के लिए पानी खींच सकते हैं जैसे विवरण को ध्यान दिए बिना ही डीपीआर तैयार किया। एसएलएससी ने यह भी सत्यापित नहीं किया कि क्या इन मुद्दों को डीपीआर में शामिल किया गया था और केवल जेबीवीएनएल द्वारा प्रस्तावित डीपीआर को अनुमोदन के लिए आरईसी को भेज दिया गया था जैसा कि **कंडिका 4.1** में चर्चा की गई है।

पीएसएस के निर्माण में दोषपूर्ण नियोजन

जेबीवीएनएल ने टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) को भूमि उपलब्ध कराने में विलंब किया, पहले सौंपे गए अनुपयुक्त या पथरीली भूमि के कारण स्थान को बदल दिया गया और पीएसएस स्थलों के लिए सड़कों की पहुंच की उपलब्धता, नमूना-जांचित जिलों में जारी आशय पत्र (एलओआई) की तारीख से चार से 19 महीनों के बीच की अवधि के अंदर भी सुनिश्चित नहीं किया। विभाग पीएसएस के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करने में विफल रहा जिसके कारण राँची जिले के तीन पीएसएस के डी-स्कोपिंग के साथ-साथ निर्माण में भी विलम्ब हुआ जैसा कि **कंडिका 5.1 और 5.8** में चर्चा की गई है।

33 केवी लाइन के निर्माण में वैधानिक मंजूरी एवं अन्य गतिविधियों को करने में विलंब

जेबीवीएनएल की ओर से वन मंजूरी शुरू करने में विलंब, आरेख और पावर ट्रांसफॉर्मर्स (पीटीआर) के तकनीकी मानकों को अंतिम रूप देने में विलंब, बीओक्यू में विचलन को अंतिम रूप देने में विलंब, और आरओडब्ल्यू (राईट ऑफ वे) के संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा उत्पन्न बाधा को हल करने में विलंब था। विभाग समय पर वन मंजूरी प्राप्त करने और आरओडब्ल्यू मुद्दों को हल करने में भी विफल रहा जैसा कि **कंडिका 5.3** में चर्चा की गई है।

जिला विद्युत समितियां

डीडीयुजीजेवाई के लिए डीपीआर जिला विद्युत समितियों (डीईसी) की अधिसूचना से पहले तैयार किए गए थे, हालांकि स्थानीय इनपुट शामिल करने के लिए डीईसी के परामर्श से डीपीआर तैयार किए जाने थे। इसके अलावा, झारखण्ड सरकार

/एसएलएससी ने 19 जिलों के डीपीआर पर डीईसी की सिफारिशों को प्राप्त किए बिना सभी 24 जिलों के डीपीआर को आरईसी को अग्रेषित करने की सिफारिश की, जिन्हें आरईसी द्वारा स्वीकृति दी गई, जैसा कि **कंडिका 8.1** में चर्चा की गई है।

2.2 व्यापक डेटाबेस का अभाव और योजनाओं की अधिकता

जेबीवीएनएल के पास विभिन्न विद्युतीकरण योजनाओं के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का व्यापक डेटाबेस नहीं है। जेबीवीएनएल ने कभी भी एक डेटाबेस तैयार करने के लिए अपने स्तर पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया जो राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं की आवश्यकताओं और मानदंडों को पूरा करे। जेबीवीएनएल के पास केवल उन उपभोक्ताओं का विवरण है जिन्हें विद्युत-संबंध दिए गए हैं जैसा कि **कंडिका 2.4.3** में चर्चा की गई है। इसलिए, विभिन्न योजनाओं के तहत संभावित उपभोक्ताओं की संख्या और स्थान का निर्धारण टीकेसी पर छोड़ दिया गया है। एक साथ कई योजनाओं के कार्यान्वित होने से यह समस्या और बढ़ जाती है।

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्या)

जेबीवीएनएल ने उचित सर्वेक्षण के माध्यम से प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्या) के तहत नि:शुल्क विद्युत-संबंध के लिए पात्र लाभार्थियों का आकलन नहीं किया। परिणामस्वरूप, उनके पास संवेदक को आदेश देने से पहले सभी पात्र लाभार्थियों वाला डेटाबेस नहीं था। इसके बजाय, संवेदक को मनमाने ढंग से विद्युत-संबंध का लक्ष्य दिया गया था जिसके विरुद्ध उन्होंने अपने स्वयं के आकलन के अनुसार विद्युत-संबंध जारी किए जैसा कि **कंडिका 3.2.3** में चर्चा की गई है।

अटल ग्राम ज्योति योजना (एजीजेवाई)

जेबीवीएनएल को संबंधित विधायकों की सिफारिशों पर लाभार्थियों की सूची तैयार करनी थी। जेबीवीएनएल ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए यह टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) को लाभार्थियों की सूची प्रदान नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, 3.64 लाख एपीएल परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले 1.86 लाख एपीएल परिवारों को नि:शुल्क विद्युत-संबंध प्रदान करने के बाद एजीजेवाई को समय से पूर्व ही बंद कर दिया गया। इस पर **कंडिका 3.2.4** में चर्चा की गई है।

2.3 आरईसी के द्वारा आवश्यकता आकलन प्रपत्र (एनएडी) की पुष्टि के बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का बनाया जाना।

डीडीयुजीजेवाई की निर्देशिका के अनुसार, जेबीवीएनएल को एक आवश्यकता मूल्यांकन दस्तावेज (एनएडी) तैयार करना था जिसमे उपभोक्ताओं, खपत पैटर्न, वोल्टेज विनियमन, एटीसी हानि स्तर, एचटी और एलटी अनुपात, ट्रांसफार्मर और फीडरों/लाइनों के इष्टतम भार आदि की सूचना के साथ-साथ भार प्रवाह अध्ययन हो ताकि फीडर पृथक्करण की आवश्यकता का आकलन तथा उप-संचरण और

वितरण तंत्र की महत्वपूर्ण कमियों की पहचान के पश्चात प्रस्तावित क्षेत्र और लागत अनुमानों की पुष्टि हो सके। आरईसी द्वारा जेबीवीएनएल के परामर्श से कार्य के क्षेत्र एवं लागत को अंतिम रूप देने के लिए एनएडी की जांच और उसका सत्यापन किया जाना था। आरईसी द्वारा सत्यापित व्यापक कार्य क्षेत्र के आधार पर, जेबीवीएनएल को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण और दरों की नवीनतम अनुसूची के आधार पर जिला/अंचल/जोन-वार डीपीआर तैयार करना था।

लेखापरीक्षा को दस्तावेजों में ऐसा कोई विवरण नहीं मिला जिसके आधार पर एनएडी को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया था कि उप-संचरण और वितरण नेटवर्क में महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान करने के बाद प्रस्तावित कार्यक्षेत्र और लागत अनुमानों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त प्रासंगिक जानकारी थी। जेबीवीएनएल ने भी स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) कि ₹ 11,266.58 करोड़ का एनएडी तैयार करने के लिए भार प्रवाह अध्ययन नहीं किया गया था। यद्यपि एनएडी आरईसी को भेजा गया था (फरवरी 2015), जिसका अनुमोदन प्रतीक्षित था (अक्टूबर 2020)। अंततः डीपीआर को एनएडी के बिना तैयार किया गया और उर्जा मंत्रालय की निगरानी समिति द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2015) किया गया। डीपीआर में कमियों पर अनुवर्ती उप-कंडिका में चर्चा की गई है।

प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई 2021/अक्टूबर 2021) कि एनएडी की तैयारी के लिए प्रारूप आरईसी द्वारा उपलब्ध कराया जाना था। हालांकि, यह उपलब्ध नहीं कराया गया और जेबीवीएनएल ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अपने स्वयं के प्रारूप में एनएडी तैयार किया। प्रबंधन/विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि डीपीआर को एनएडी के अनुमोदन के बिना तैयार किया गया है।

2.4 ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए डीपीआर तैयार करना

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरजीजीवीवाई के विस्तार (सितंबर 2013) और डीडीयुजीजेवाई के आरम्भ (दिसंबर 2014) से पहले, जेबीवीएनएल ने राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण के सुधार के लिए विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण[14] और जिलेवार डीपीआर तैयार करने के लिए निविदा आमंत्रित की (मार्च 2012)। जेबीवीएनएल ने 24 जिलों के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु तीन एजेंसियों[15] को अनुमोदित डीपीआर के अनुसार परियोजना की स्वीकृत लागत का 0.89 प्रतिशत से 1.56 प्रतिशत के बीच के अनुबंध मूल्य[16] पर विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (ईएसए) वार आशय पत्र

---

[14] जीपीएस / जीआईएस सर्वेक्षण, वितरण प्रणाली का मूल्यांकन, मौजूदा एपीएल और बीपीएल विद्युत-संबंध और अपेक्षित एपीएल और बीपीएल विद्युत-संबंध प्रदान किया जाना है।

[15] मेकॉन-ईएसए राँची और पलामू, आरईसीपीडीसीएल-ईएसए धनबाद, जमशेदपुर और दुमका और एकेएस-ईएसए हजारीबाग

[16] ईएसए राँची के लिए 1.54 प्रतिशत, ईएसए पलामू के लिए 1.56 प्रतिशत, ईएसए धनबाद, जमशेदपुर और दुमका के लिए 0.99 प्रतिशत और ईएसए हजारीबाग के लिए 0.89 प्रतिशत (सेवा कर को छोड़कर)

(एलओआई) जारी किया (फरवरी 2013)। आवंटित लागत[17] के 60 प्रतिशत का भुगतान क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विधिवत सत्यापित कर डीपीआर प्रस्तुत करने पर, 30 प्रतिशत भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा डीपीआर के अनुमोदन पर और शेष 10 प्रतिशत कार्यों के आवंटन पर किया जाना था।

आरजीजीवीवाई के विस्तार के बाद, जेबीवीएनएल ने एजेंसियों को दो भागों में डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया (जुलाई 2013), एक उन कार्यों के लिए, जिन्हें आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत आच्छादित किया जा सकता है (भाग-बी) और दूसरा, अनुबंध के अनुसार सभी शेष कार्यों के लिए (भाग-ए)। एलओआई मार्च 2014 में जारी किए गए थे और लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) अक्टूबर 2014 और जनवरी 2015 के बीच जारी किए गए थे।

एजेंसियों ने ₹ 4,879.16 करोड़ की परियोजना लागत वाली 24 जिलों के लिए सभी डीपीआर (भाग बी) प्रस्तुत की (दिसंबर 2013 से जनवरी 2014) जिन्हें एसएलएससी द्वारा आगे आरईसी को प्रस्तुत करने के लिए अनुशंसित (जनवरी-फरवरी 2014) की गई थी। इनमें से जेबीवीएनएल ने भारत सरकार के अनुमोदन के लिए आरईसी के वेब पोर्टल पर ₹ 4,714.71 करोड़ की परियोजना लागत सहित केवल 23 जिलों (सिमडेगा को छोड़कर) का डीपीआर अपलोड किया। इनके विरूद्ध, भारत सरकार ने केवल 17 जिलों के लिए ₹ 3,290.07 करोड़ की एसएलएससी सिफारिश के विरुद्ध ₹ 1,260.92 करोड़ (38.32 प्रतिशत) के लिए इन जिलों की परियोजनाओं को मंजूरी दी। ₹ 1,424.63 करोड़ की परियोजना लागत वाली शेष छः जिलों[18] की परियोजनाओं को अनुमोदित नहीं किया गया जिसके कारणों की विवेचना **कंडिका 2.4.1** में की गई है।

डीडीयुजीजेवाई की शुरुआत पर, जेबीवीएनएल ने सभी तीन एजेंसियों से सभी मौजूदा और संभावित कृषि उपभोक्ताओं के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के संबंध में आंकड़ा एकत्र करने का अनुरोध किया (दिसंबर 2014) ताकि इनका उपयोग डीडीयुजीजेवाई के तहत परियोजनाओं के आसान वित्तपोषण को सुनिश्चित करने के लिए अलग डीपीआर तैयार करने के लिए किया जा सके। एजेंसियों ने जेबीवीएनएल को ₹ 6,333.77 करोड़[19] मूल्य के आंकड़े और डीपीआर (भाग ए) प्रस्तुत किए (जुलाई 2014 से सितंबर 2016)। हालांकि, जेबीवीएनएल के डीडीयुजीजेवाई के लिए अलग डीपीआर प्रस्तुत करने के अनुरोध पर, दो एजेंसियों (मेकॉन और आरईसीपीडीसीएल) ने कोई जवाब नहीं दिया और अंततः मेसर्स एकेएस ने जेबीवीएनएल के मौखिक अनुरोध पर सभी 24 जिलों के डीडीयुजीजेवाई

---

17 जेबीवीएनएल ने अंतरिम भुगतान के लिए अनुबंध मूल्य की राशि की गणना की जिसे अंततः डीपीआर की स्वीकृत लागत के साथ जोड़ा जाना था

18 गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका

19 ईएसए राँची के लिए 1724.24 करोड़, ईएसए मेदनीनगर के लिए 1427.68 करोड़, ईएसए हजारीबाग के लिए 2302.00 करोड़, ईएसए धनबाद के लिए 137.40 करोड़, ईएसए पूर्वी सिंहभूम के लिए 262.15 करोड़, ईएसए दुमका के लिए 480.31 करोड़ रुपये।

के लिए ₹ 5,813.87 करोड़ के अलग-अलग डीपीआर प्रस्तुत किए (मार्च 2015)। इनमें से, भारत सरकार ने सभी 24 जिलों के लिए डीडीयुजीजेवाई के तहत वित्तीय सहायता के लिए ₹ 3,722.12 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी।

डीपीआर, अनुबंध दस्तावेज, संवेदक बिल और अन्य संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में निम्नलिखित कमियां उद्घाटित हुईं:

2.4.1 आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत झारखण्ड सरकार भारत सरकार के अनुदान से वंचित रही

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ₹ 1,418.20 करोड़ मूल्य के चार जिलों (गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा) के डीपीआर भारत सरकार को प्रस्तुत (फरवरी 2014) किए गए थे, लेकिन इस आधार पर अनुमोदित नहीं किए गए थे कि इन जिलों में आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) के कार्य पूर्ण नहीं थे। दो जिलों (पश्चिम सिंहभूम और दुमका) के डीपीआर (₹ 233.68 करोड़) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं थे क्योंकि आरईसी ने मूल्यांकन किया था कि सभी बीपीएल घरों का विद्युतीकरण हो गया था और इनमें कोई अतिरिक्त अवसंरचना की आवश्यकता नहीं थी, तथापि डीपीआर में क्रमशः 75,995 और 30,108 बीपीएल उपभोक्ताओं को विद्युत-संबंध देने का प्रस्ताव शामिल था। सिमडेगा की डीपीआर आवश्यकता के अनुसार आरईसी के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया था जिसका कारण अभिलेख में नहीं पाया गया।

इस प्रकार, चार जिलों में आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) के कार्यों को पूरा न करने के कारण, दो जिलों में बचे हुए बीपीएल परिवारों के विद्युतीकरण के संबंध में आरईसी को समझाने में जेबीवीएनएल की अक्षमता और एक जिले की डीपीआर अपलोड करने में विफलता के कारण, झारखण्ड सरकार, भारत सरकार के द्वारा आरजीजीवीवाई के तहत स्वीकृत लागत के 90 प्रतिशत के बराबर अनुदान से वंचित रहा। बाद में, इन सात जिलों के डीपीआर को डीडीयुजीजेवाई के तहत अन्य 17 जिलों के साथ अनुमोदित (अगस्त 2015) किया गया, जहां भारत सरकार का अनुदान केवल 60 प्रतिशत था।

आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति न होने के कारण झारखण्ड सरकार सात जिलों के ₹ 1,589.08 करोड़ के डीपीआर मूल्य पर भारत सरकार के ₹ 182.68 करोड़[20] का अनुदान, अन्य 17 जिलों के लिए डीपीआर मूल्य का 38.32 प्रतिशत की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त करने में विफल रही। इसके अलावा, इन सात जिलों की डीपीआर तैयार करने पर किया गया ₹ 4.86 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

[20] ₹1589.09 करोड़ x 38.32 प्रतिशत x (90-60) प्रतिशत = ₹182.68 करोड़

प्रबंधन/विभाग ने बताया (मार्च 2021/अक्टूबर 2021) कि जेबीवीएनएल ने डीपीआर तैयार कर आरईसी को जमा कर दिया और परियोजना की स्वीकृति पर जेबीवीएनएल का कोई नियंत्रण नहीं है।

तथ्य यह है कि सात जिलों के डीपीआर स्वीकृत नहीं किए गए थे क्योंकि जेबीवीएनएल ने (i) आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) (चार जिलों) के तहत काम पूरा नहीं किया था, (ii) बचे हुए बीपीएल उपभोक्ताओं (दो जिलों) के बारे में आरईसी को आश्वस्त नहीं कर सका और (iii) डीपीआर (एक जिला) अपलोड करने में विफल।

2.4.2 डीपीआर तैयार करने पर व्यय

आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल):

आरईसीपीडीसीएल ने 11 जिलों के लिए अपूर्ण डीपीआर (भाग ए) प्रस्तुत किया (जुलाई 2014) क्योंकि इसमें पूर्ण विवरण और दस्तावेज शामिल नहीं थे। जेबीवीएनएल ने ड्राफ्ट डीपीआर लागत (₹ 919.72 करोड़) के 60 प्रतिशत (₹ 5.46 करोड़) के दावे के विरुद्ध ₹ 1.37 करोड़ (14.89 प्रतिशत) का भुगतान किया (सितंबर 2016 से नवंबर 2016)। भुगतान आरईसीपीडीसीएल के अनुरोध पर जेबीवीएनएल द्वारा इंगित कमियों को दूर करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में किया गया था, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी क्योंकि इन 11 जिलों की डीपीआर पहले ही जेबीवीएनएल के मौखिक निर्देश पर मेसर्स एकेएस द्वारा प्रस्तुत (मार्च 2015) कर दी गई थी।

इस प्रकार, जेबीवीएनएल ने आरईसीपीडीसीएल को ₹ 1.37 करोड़ का भुगतान किया, जबकि यह जानकारी आवश्यक होगा कि मेसर्स एकेएस द्वारा डीपीआर भुगतान से छः से आठ महीने पहले ही प्रस्तुत किए गए थे और परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

मेकॉन और मेसर्स एकेएस: मेकॉन और मेसर्स एकेएस ने ₹ 5,453.92 करोड़[21] का डीपीआर भाग-ए के लिए प्रस्तुत किया। इन डीपीआर से, मेसर्स एकेएस ने डीडीयुजीजेवाई और जेएसबीएवाई का डीपीआर तैयार किया जिन्हें ₹ 4,794.80 करोड़[22] मूल्य की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत (अगस्त 2015 और मार्च 2017) किया गया था। हालांकि, दोनों एजेंसियों द्वारा ₹ 61.37 करोड़[23] के दावे के विरुद्ध, जेबीवीएनएल

---

21 ईएसए राँची के लिए ₹ 1724.24 करोड़ और ईएसए मेदनीनगर के लिए ₹ 1427.68 करोड़ और ईएसए हजारीबाग के लिए ₹ 2302 करोड़

22 डीडीयुजीजेवाई के तहत ₹ 816.78 करोड़ और ईएसए राँची के लिए जेएसबीवाई के तहत ₹ 858.46 करोड़, डीडीयुजीजेवाई के तहत ₹ 714.83 करोड़ और ईएसए मेदिनीनगर के लिए जेएसबीवाई के तहत ₹ 512.64 करोड़ और डीडीयुजीजेवाई के तहत ₹ 772.98 करोड़ और ईएसए हजारीबाग के लिए जेएसबीवाई के तहत ₹ 1119.11 करोड़।

23 मेकॉन - ₹ 45.3 करोड़ और मेसर्स एकेएस - ₹ 16.07 करोड़

ने आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)[24] के तहत चार जिलों के डीपीआर के लिए सर्वेक्षण नहीं करने और डीपीआर की अस्वीकृति के कारण दावा कम करने के केवल ₹ 16.57 करोड़[25] के मान्य दावे को स्वीकार किया (जनवरी 2019)। हालांकि, मेसर्स एकेएस को केवल ₹ 4.83 करोड़ का भुगतान किया गया (अक्टूबर 2017) जबकि मेकॉन को कोई भुगतान नहीं किया गया (अक्टूबर 2020)।

आगे यह देखा गया कि मेसर्स एकेएस ने जेबीवीएनएल के मौखिक अनुरोध पर अतिरिक्त कार्य के रूप में डीडीयुजीजेवाई और जेएसबीएवाई के लिए डीपीआर तैयार किया था, लेकिन जुलाई 2020 तक संशोधित कार्यादेश जारी नहीं किया गया था। इस तरह मेसर्स एकेएस के प्रति जेबीवीएनएल की देयता इसके अतिरिक्त कार्य के लिए सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था यद्यपि डीडीयुजीजेवाई और जेएसबीएवाई की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी थीं और प्रगति पर थीं। हालांकि, मेसर्स एकेएस ने ₹ 18.45 करोड़ का दावा भी प्रस्तुत किया (जनवरी और मार्च 2017)।

इसके अलावा, चूंकि एकेएस एक एमएसएमई उद्यम है, जेबीवीएनएल एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार देय राशि पर ₹ 3.52 करोड़ ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था जो यह निर्धारित करता है कि बिल जमा करने के 45 दिनों से अधिक के भुगतान में विलंब पर आरबीआई द्वारा मासिक बकाया राशि पर अधिसूचित बैंक दर का तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2020 की अवधि के लिए लगेगा।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई 2021/अक्टूबर 2021) कि डीपीआर में कमियों को सुधार करने के लिए आंशिक भुगतान किया गया था क्योंकि आरईसीपीडीसीएल का आंकड़ा एलओए की आवश्यकता के अनुसार नहीं था। इसके अलावा, प्रबंधन/विभाग ने स्वीकार किया कि मेसर्स एकेएस द्वारा डीडीयुजीजेवाई का डीपीआर तैयार करने के लिए कार्यादेश जारी नहीं किया गया था और कहा कि भुगतान अभी भी विचाराधीन है।

आरईसीपीडीसीएल को आंशिक भुगतान के संबंध में प्रबंधन/विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरईसीपीडीसीएल को भुगतान का कोई वैध कारण नहीं था क्योंकि भुगतान से पहले मेसर्स एकेएस द्वारा डीपीआर तैयार किया गया था और जेबीवीएनएल ने स्वयं माना है कि आरईसीपीडीसीएल द्वारा तैयार डीपीआर में कई कमियां थीं।

2.4.3 बिना क्षेत्र सर्वेक्षण के डीपीआर तैयार करना

डीडीयुजीजेवाई की निर्देशिका के अनुसार, यूटिलिटी (पीआईए) को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण और दरों की नवीनतम अनुमोदित अनुसूची (एसओआर) के आधार पर

---

[24] इस धारणा पर कि डीपीआर तैयार करने में, सर्वेक्षण और शेष घटकों में से प्रत्येक 50 प्रतिशत होगा, जिससे सर्वेक्षण घटक का 40 प्रतिशत घटाया जाएगा।

[25] मेकॉन - ₹ 6.93 करोड़ और मेसर्स एकेएस - ₹ 9.64 करोड़

जिला/अंचल/क्षेत्रवार, डीपीआर तैयार करना था। डीपीआर को एसएलएससी या अनुश्रवण समिति (एमसी) को जेबीवीएनएल द्वारा एक वचनबद्धता के साथ अग्रेषित किया जाना था कि डीपीआर क्षेत्र सर्वेक्षण और अद्यतन एसओआर पर आधारित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जेबीवीएनएल ने उपभोक्ता डेटाबेस को छोड़कर गांवों के विद्युतीकरण की स्थिति के संबंध में कोई डेटाबेस नहीं रखा था। एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और डीपीआर की जांच की गई और जेबीवीएनएल द्वारा अनुमोदित किया गया और भारत सरकार की योजनाओं के तहत अनुमोदन के लिए एसएलएससी/एमसी को अग्रेषित किया गया। तथापि, नमूना-जांचित जिलों में अभिलेखों की समीक्षा में भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए डीपीआर में प्रस्तावित गांवों की संख्या (अनुमोदित) और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए नियोजित टीकेसी द्वारा प्रस्तावित गांवों की संख्या में विसंगतियां पाई गईं जैसा कि **तालिका 2.1** में दिखाया गया है:

तालिका 2.1: डीपीआर में प्रस्तावित और क्षेत्रीय सर्वेक्षण में पाए गए गांवों की संख्या में विसंगतियां

जिले का नाम	योजना का नाम	डीपीआर के अनुसार गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है	टीकेसी द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है	डीपीआर में विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित गांव लेकिन टीकेसी द्वारा अन्यथा पाए गए	
				पहले से ही विद्युतीकृत पाए गए गांव	अस्तित्वहीन पाए गए गांव
1	2	3	4	5	6
धनबाद	डीडीयुजीजेवाई	277	339	0	0
	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	1,010	619	41	172
गिरिडीह	डीडीयुजीजेवाई	1,329	1,665	0	0
	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	2,234	954	18	0
देवघर	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	1,793	1,686	49	32
	डीडीयुजीजेवाई	470	543	33	03
पलामू	डीडीयुजीजेवाई	1,244	1,711	9	159
दुमका	डीडीयुजीजेवाई	714	2,633	61	231
पाकुड़	डीडीयुजीजेवाई	243	506	49	81
	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	1,158	615	0	0
राँची	डीडीयुजीजेवाई	832	528	0	0
	आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना)	1,269	741	0	0
कुल		**12,573**	**12,540**	**260**	**678**

(स्रोत: डीपीआर और जेबीवीएनएल के ईएससी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित)

तालिका 2.1 से, यह देखा जा सकता है कि सात नमूना-जांचित जिलों में, 938 गांवों (सात प्रतिशत) को टीकेसी द्वारा या तो विद्युतीकृत (260) या अस्तित्वहीन (678) पाया गया था, हालांकि इन गांवों को जेबीवीएनएल द्वारा विद्युतीकरण के लिए प्रस्तावित किया गया था और एसएलएससी द्वारा आरईसी को अनुशंसित किया गया था।

इस प्रकार, डीपीआर वास्तविक सर्वेक्षण किए बिना तैयार किए गए थे जिसके कारण अविद्युतीकृत गाँवों की वास्तविक संख्या में अंतर पाया गया। एसएलएससी ने भी आरईसी को अग्रेषित करने के पहले डीपीआर का विस्तृत विश्लेषण नहीं किया। आगे सौभाग्या योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए जेबीवीएनएल ने कोई क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन/विभाग ने कहा (मई 2021/अक्टूबर 2021) कि आरजीजीवीवाई (XII पंचवर्षीय योजना) और डीडीयुजीजेवाई की डीपीआर तैयार करने के दौरान एजेंसी द्वारा आंकड़ा तैयार किया गया है। प्रबंधन/विभाग ने आगे बताया कि स्वीकृत लागत में कमी और पुनरीक्षित मात्रा में कमी और प्रत्येक घर को विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए उर्जा मंत्रालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गांवों/बस्तियों को संतृप्ति की अवस्था तक आच्छादित करने के बाद के निर्णय के कारण गांवों को डीपीआर में शामिल नहीं किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीडीयुजीजेवाई के तहत टीकेसी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार स्वीकृत लागत और पुनरीक्षित मात्रा के बाद भी सात नमूना-जांचित जिलों में से छ: में डीपीआर के अनुसार विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की तुलना में गांवों की संख्या अधिक पाई गई। इसके अलावा, टीकेसी के सर्वेक्षण के दौरान पहले से विद्युतीकृत गांवों और अस्तित्वहीन गांवों पर उत्तर मौन था।

उचित क्षेत्र सर्वेक्षण और व्यापक डेटाबेस का रखरखाव परियोजना नियोजन की रीढ़ होती है। जेबीवीएनएल उचित क्षेत्र सर्वेक्षण करने या एक डेटाबेस बनाए रखने में विफल रहा जो अपात्र लाभार्थियों को विद्युत-संबंध मिलने और फिजूलखर्ची के जोखिम से भरा था। इस विफलता के लिए दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

सारांश में, *जेबीवीएनएल ने लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कभी भी क्षेत्र सर्वेक्षण नहीं किया और न ही उन्होंने विद्युतीकृत गांवों/घरों का एक मान्य डेटाबेस बनाया। नमूना-जांचित सात जिलों में विद्युतीकरण कार्य शुरू करने से पहले क्षेत्र सर्वेक्षण करते समय टर्न-की संवेदकों (टीकेसी) ने पाया कि 260 विद्युतीकृत गांवों और 678 अस्तित्वहीन गांवों को डीपीआर में शामिल किया गया था। जेबीवीएनएल चतरा, गढ़वा, लातेहार और पलामू जिलों में आरजीजीवीवाई (X पंचवर्षीय योजना) को पूरा न करने, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में आरईसी के साथ छूटे हुए बीपीएल परिवारों के मुद्दे को आगे बढ़ाने तथा सिमडेगा जिले की डीपीआर अपलोड*

नहीं करने में विफलता के कारण ₹ 182.68 करोड़ की भारत सरकार के अनुदान से वंचित हुआ। जेबीवीएनएल ने डीपीआर में कमियों को दूर करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को ₹ 1.37 करोड़ का भुगतान किया, हालांकि इन 11 जिलों की डीपीआर छः से आठ महीने पहले ही किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी थी जिसके परिणामस्वरूप व्यर्थ व्यय हुआ।